न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर
दीवानी वाद संख्या 23/2025
मांगीलाल बनाम बालमुकुन्द (मृतक) जरिये वारिसान व अन्य

04.12.2025

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती विजय लक्ष्मी उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अविनाश टांक उपस्थित।

वादी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या–1 बालमुकुन्द की मृत्यु दिनांक 04.03.2024 तथा उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 1/1 श्रीमती रामदेई की मृत्यु दिनांक 14.11.2025 को हो चुकी है। बालमुकुन्द व रामदेई के विधिक वारिसान पूर्व से ही पक्षकार के रूप में बालमुकुन्द की मृत्यु के पश्चात वाद में पक्षकार के रूप में संस्थित किये जा चुके हैं, इसलिए प्रार्थना–पत्र संशोधित वाद शीर्षक में रामदेई के मृतक अंकित करते हुए पेश किया है, जिसे स्वीकार किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने में अनापत्ति प्रकट की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 बालमुकुन्द की मृत्यु दिनांक 04.03.2024 को हो जाने से उसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1/1 श्रीमती रामदेई जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी है, की मृत्यु दिनांक 14.11.2025 को हो जाने से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती रामदेई के विधिक वारिसान पूर्व से ही रेकार्ड पर है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आज पेश किया गया संशोधित वाद शीर्षक को रेकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह प्रतिवादी दिनांक 09.12.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।